

JSY GOI Scheme

नियम व शर्ते

1. जच्चा की आयु 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
2. जच्चा या बी0पी0एल0 या अनुसूचित जाति (SC) से सम्बन्धित होना चाहिए।
3. डिलीवरी किसी भी सरकारी संस्थान जैसे कि सरकारी अस्पताल/सी.एच.सी./पी.एच.सी/उप केन्द्र पर या फिर मंजूरशुदा प्राईवेट अस्पताल में होनी चाहिए।
4. लाभ राशि केवल जच्चा को ही प्रदान की जाएगी, उसकी किसी रिश्तेदार या संबंधी को नहीं दी जाएगी।

लाभ राशि

1. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए – 700 रु.
2. शहरी क्षेत्रों के लिए – 600 रु.

जरूरी दस्तावेज

1. जन्म प्रमाण पत्र
2. यदि बी0पी0एल0 हो तो बी0पी0एल0 राशन कार्ड
3. यदि अनुसूचित जाति से हो तो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र
4. राशन कार्ड जिस पर बच्चे की मां का नाम दर्ज हो।
5. ANC कार्ड
6. Discharge Slip

JSY State Plan

नियम व शर्ते

1. जच्चा की आयु 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
2. जच्चा अनुसूचित जाति (SC) से सम्बन्धित होना चाहिए।
3. डिलीवरी किसी भी सरकारी संस्थान जैसे कि सरकारी अस्पताल/सी.एच.सी./पी.एच.सी/उप केन्द्र पर या फिर मंजूरशुदा प्राईवेट अस्पताल में होनी चाहिए।
4. लाभ राशि केवल जच्चा को ही प्रदान की जाएगी, उसकी किसी रिश्तेदार या संबंधी को नहीं दी जाएगी।

लाभ राशि

1500 रू. (500 रू. पंजीकरण के उपरान्त, 500 रू. 3 ए.एन.सी. चैक-अप पूरे होने पर व 500 रू. डिलवरी के बाद)

जरूरी दस्तावेज

1. जन्म प्रमाण पत्र
2. अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र
3. राशन कार्ड जिस पर बच्चे की मां का नाम दर्ज हो।
4. ANC कार्ड
5. Discharge Slip